

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)  
 पीठासीन अधिकारी : श्री गणेश कुमार उपाध्याय न्यायाधीश P.A.S.  
 प्रकरण संख्या 57 / 2019  
 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सेक्शन 20, एक्ट, 1958  
 उनवान

श्री चन्द्र प्रकाश 5/0 आराजीयात शाहपुरा  
 विपक्षी/विपक्षीगण

वनाग

- प्रार्थी/प्रार्थीगण

कन्हैयालाल 5/0 आराजीयात शाहपुरा  
 विपक्षी/विपक्षीगण

- विपक्षी/विपक्षीगण

उपस्थित :- श्री कन्हैयालाल शाहपुरा  
 आराजीयात

निर्णय

दिनांक 3-9-19

प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान न्यू-राजस्थान अधिनियम, 1958 के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :- प्रार्थी/प्रार्थीगण के ग्राम कन्हैयालाल शाहपुरा/ जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजीयात नम्बर 835/154 रकबा 0.70 है।

कुल किता 1 रकबा 0.70 हेक्टर का प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काशतकार है। बादग्रस्त भूमि के विपक्षी/विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमाविन्द नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीयत किया जाकर विपक्षी/विपक्षीगण को उचित समझ दलब किया गया। विपक्षी/विपक्षीगण बादग्रस्त सूचना उपस्थित नहीं होने से एक तरफ कार्यवाही की जाकर वहल अभिभाषक प्रार्थी/प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमावन्दी ग्राम कन्हैयालाल शाहपुरा संवत् 2074 से 2077 तक का अधलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा कन्हैयालाल शाहपुरा में स्थित प्रार्थी/प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 1 रकबा 0.70 हेक्टर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/ जिला भीलवाड़ा को कमिश्नर नियुक्त किये जाते हैं। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 200/- रुपये कायम किये जाते हैं जो प्रार्थी/प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा/ जिला भीलवाड़ा को प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पेश करे। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो। को सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 3-9-19

उपखण्ड अधिकारी एवं  
 महायक रजिस्ट्रार  
 शाहपुरा (भीलवाड़ा)



प्रतिलिपि:- तहसीलदार, शाहपुरा/ जिला भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि नुतादिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर मौलाग रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
 महायक रजिस्ट्रार  
 शाहपुरा (भीलवाड़ा)